

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 03/2025 - प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2025

सा.का.नि. ....(अ).- माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- i. क्रम सं. 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ii. क्रम सं. 1क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iii. क्रम सं. 5 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iv. क्रम सं. 5क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- v. क्रम सं. 6 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- vi. क्रम सं. 6क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- vii. क्रम सं. 7 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- viii. क्रम सं. 7क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ix. क्रम सं. 8 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- x. क्रम सं. 9 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;

[illegible]





lix. क्रम सं. 36घ के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;

lx. क्रम सं. 36ड के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;

lxi. क्रम सं. 37 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;

lxii. क्रम सं. 38 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/75/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

अवर सचिव

**टिप्पणी:** - मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2025- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 659(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।